सीडीआर -II / 801106/2017

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग)

पटियाला हाउस एनेक्स,
तिलक मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 8 मई, 2017

सेवा में
सभी पासपोर्ट अधिकारी,
विषय : विदेश मंत्रालय के तहत केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में कार्यरत कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (ग्रुप "बी" अराजपत्रित) और वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक (हिन्दी)(ग्रुप "सी") पदों के भर्ती नियम-2017 का निर्धारण।

महोदय/महोदया,
हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु भर्ती नियमों को तैयार/ संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव 30 दिनों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने संबंधी डीओपीटी के फाइल सं. एबी -14017 / 61/2008-स्थापना(आरआर) दिनांक 13.10.2015 के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन पर ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है। अतः, उपरोक्त वर्णित भर्ती नियम(आरआर) इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहें हैं।
2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित जो केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय के तहत कार्यरत हों या उपरोक्त मसौदा नियमों से किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, से अनुरोध है कि वे आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस मामले में अपनी टिप्पणी / राय / सुझाव socpvcadremea .gov. in.पर ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(मोहम्मद नसीम)
उप पासपोर्ट अधिकारी (पीवीए एवं कैडर)
01't-23381051

संलग्नक- यथोपरि

प्रतिलिपि:

I. पीओ (एक्सएलएम), विदेश मंत्रालय, शास्त्री भवन, को इस अनुरोध के साथ कि भर्ती नियम मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
II. प्रधान सलाहकार और प्रमुख तकनीकी, पीएमयू को इस अनुरोध के साथ कि वे भर्ती नियम मसौदा पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करें।

भारत का राजपत्र: असाधारण [भाग -।। धारा 3 (i)

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग)

****

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2017

जी.एस.आर - संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (ग्रुप सी पद) भर्ती नियम, 2004 के अधिक्रमण में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों या हटा दिए गए कार्यों को छोड़कर जहां तक इसका संबंध हिन्दी अनुवादक, प्रवर श्रेणी लिपिक(हिन्दी) भर्ती नियम 2004 से हैं, राष्ट्रपति एतद द्वारा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय(सीपीवी प्रभाग) में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (ग्रुप "बी" अराजपत्रित) और वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक (हिन्दी)(ग्रुप "सी" अराजपत्रित) पदों की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करते हैं:-

1. **लघु शीर्षक और प्रवर्तन** -(i) ये नियम विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक (ग्रुप "बी" अराजपत्रित) और वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक (हिन्दी)(ग्रुप "सी" अराजपत्रित) पदों के भर्ती नियम-2017 कहे जाएंगे।

   (ii) आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू होगा।
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"** - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में "स्तर" (पूर्व संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान) संलग्नित अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार होगा।
3. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा और अन्य योग्यता, आदि** - उपर्युक्त पद संबंधी भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार होंगे।
4. **तैनाती** : कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक पद पर नियुक्त व्यक्ति को भारत के किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है।
5. **अयोग्यता** - ऐसा कोई व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होंगा जो-

   (क) किसी ऐसे शादीशुदा इन्सान से विवाह या विवाह का अनुबंध करता है/करती है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या

   (ख) पति/पत्नी के जीवित रहते किसी भी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध करता है/करती है।

   बशर्ते केन्द्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि यह विवाह उस व्यक्ति और दूसरे पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, ऐसे व्यक्ति के मामले में इस नियम के परिचालन में छूट दी जाएगी।

6. **छूट देने का अधिकार-** जबकि केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कारणों का रिकार्ड लिखित में रखकर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश जारी कर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति को इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।

7. **संचयन** - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत आदि इन नियमों से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	23* (2017) कार्य-अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-6	लागू नहीं	30 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार 5 वर्ष की छूट) नोट : भारत में उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की समाप्ति तिथि ही आयु सीमा निर्धारित की निर्णायक तिथि होगी(पर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजेराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, काश्मीर राज्य, लाहौल और स्पिति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पंजी सबडिविजन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के लिए आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित समाप्ति तिथि नहीं)

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति उम्मीदवारों के मामले में लागू होंगी। परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो
7	**8**
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी अनिवार्य विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री,	लागू नहीं
अथवा	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, डिग्री स्तर पर हिन्दी आनिवार्य या वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री;	
अथवा	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर तक अंग्रेजी आनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा माध्यम के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से	

मास्टर डिग्री, ;	
अथवा	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर तक हिन्दी आनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय अथवा परीक्षा के माध्यम के साथ हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री,	
अथवा	
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर तक अनिवार्य या वैकल्पिक विषयों के रूप में हिंदी और अंग्रेजी विषय के साथ या उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, हिन्दी अथवा अंग्रेजी को छोड़कर किसी भी विषय में मास्टर डिग्री,	
और	
हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमक्रम अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र या भारत सरकार के उपक्रम सहित केन्द्र या राज्य सरकार के कार्यालयों में हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमक्रम अनुवाद कार्य में दो वर्ष का अनुभव नोट 1: भिन्न प्रकार से योग्य उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है । नोट 2 : अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर अनुभव संबंधी योग्यता (योग्यताओं) पर छूट दी जा सकती है यदि चयन के किसी भी स्तर पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विचार में पदों की भर्ती हेतु इन समुदायों से अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की संभावना है।	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है
9	10	11
दो साल	पदोन्नति द्वारा न भरे जाने पर प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से भरा जाए।	केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक (हिंदी) संवर्ग के कर्मचारी अपने ग्रेड में

	नोट: पदस्थ कर्मचारी के स्थानांतरण,प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन की छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के कारण एक वर्ष या उससे अधिक अवधि तक दूर रहने के कारण उत्पन्न रिक्त पद केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा सकते हैं: (क) जो नियमित कैडर/विभाग में पर समान पद पर पदस्थ हों, तथा (ख) जो कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यताओं और अनुभव को पूरा करते हों,	10 वर्षों की नियमित सेवा के साथ और जो कॉलम 7 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करते हों।

.

यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	13
ग्रुप 'बी' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए): 1. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के संयुक्त सचिव और मुख्य पासपोर्ट प्रभारी अधिकारी - अध्यक्ष 2. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के प्रभारी उप सचिव - सदस्य 3. विदेश मंत्रालय से उप सचिव/अवर सचिव - सदस्य 4. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक (हिन्दी)	04* (2017) कार्य-अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-4	चयनित	लागू नहीं

सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक योग्यता क्या पदोन्नति उम्मीदवारों के मामले में लागू होंगी। परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो तो
7	8
लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से की जाने वाली भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है
9	10	11
शून्य	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से	प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार के अधिकारी जो, प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जा सकते हैं: (क) (i) जो नियमित आधार पर समान पद पर पदस्थ हों, या (ii) कनिष्ठ सहायक या समकक्ष ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा के

		साथ, और (ख) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के साथ स्नातक की डिग्री धारी या उनमें से एक परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और दूसरा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो। (उसी संगठन या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन विभाग में इस प्रतिनियुक्ति के तत्काल पूर्वगामी अन्य कैडर पद पर नियुक्ति सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होनी चाहिए)

यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
12	**13**
ग्रुप 'सी' विभागीय पदोन्नति समिति (पुष्टिकरण के लिए): 1. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के प्रभारी निदेशक - अध्यक्ष 2. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के प्रभारी उप सचिव - सदस्य 3. विदेश मंत्रालय से उप सचिव/अवर सचिव - सदस्य 4. केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन के सहायक पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है